न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपर, जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्याः 72/2025(जी.सी.एम.एस. 2025/98)

वादीगण	बनाम प्रतिवादीगण
1. अरमानदीप सिह पुत्र खुशविन्द्र सिह जाति जटसिख निवासी 16-17 एच घनजातियां तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर। 2. कुलविन्द्र सिह पुत्र रणजीत सिंह जाति जटसिख निवासी 16-17 एच घनजातियां तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।	1. रणजीत सिह पुत्र सौदागर सिह जाति जटसिख निवासी 16-17 एच घनजातियां तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर। 2. सुखदीप कौर पत्नी रणजीत सिंह जाति जटसिख निवासी 16-17 एच घनजातियां तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर। 3. खुशविन्द्र सिह पुत्र रणजीत सिंह जाति जटसिख निवासी 16-17 एच घनजातियां तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर। 4. विरेन्द्र कौर पत्नी मुलखन सिंह पुत्री रणजीत सिंह जाति जटसिख निवासी 10 एच सुन्दरपुरा तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर। 5. नरेन्द्र कौर पत्नी अवतार सिह पुत्री रणजीत सिंह जाति जटसिख निवासी 14 एच तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर। 6. सुरेन्द्र कौर पत्नी निशान सिंह पुत्री रणजीत सिंह जाति जटसिख निवासी 16-17 एच घनजातियां तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर। 7. राजस्थान राज्य जरिए तहसील राजस्व, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।

अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू 02.04.2025

उपस्थितः 1. श्री इन्द्राज सेजू अधिवक्ता वादी

दिनांकः 13.05.2025

---निर्णय---

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण के द्वारा वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 16/17 एच, पटवार मण्डल मलकानाकला की चालू जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 117/41 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 4.3650 हैक्टेयर भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज है। चक 16/17 एच, पटवार मण्डल मलकानाकला की चालू जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 154/145 में कुल 5.566 हैक्टेयर भूमि दर्ज है। जिसमें प्रतिवादी संख्या 2 के नाम से 5/11 हिस्सा भूमि दर्ज है। वादीगण आपस में एक ही परिवार से है। वादी संख्या 1, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का पोत्र है तथा प्रतिवादी संख्या 3 का पुत्र है। वादी संख्या 2 प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का सगा पुत्र है तथा अन्य प्रतिवादीगण का भाई है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के द्वारा आपस में सहमति से पिछले 2-3 वर्षो से पारिवारिक सुविधाओ के अनुसार उक्त कृषि भूमि का बंटवारा कर रखा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेख में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम से दर्ज है, जिनके वादीगण व प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 विधिक वारिसान है। प्रतिवादीगण ने पारिवारिक सुविधाओ के अनुसार बंटवारा कर वादीगण को चक 16/17 एच के खाता संख्या 117 के मुरब्बा नं0 54 में कुल 2.3790 है0 नहरी व मुरब्बा नं0 128/22 में 0.025है0 गैर मुमकिन खाला भूमि वादी संख्या 1 अरमानदीप सिह पुत्र खुशविन्द्र सिह के कब्जा काश्त में चली आ रही है। चक 16/17 एच के खाता संख्या 117 के मुरब्बा नं0 102 की कुल 1.9610है0 बारानी भूमि पर वादी संख्या 1 व वादी संख्या 2 बहिस्सा बराबर के कब्जा काश्त में चली आ रही है। चक 16/17 एच के खाता संख्या 154/145 में प्रतिवादी संख्या 2 सुखदीप कौर के नाम से दर्ज 5/11 हिस्सा यानि 2.530 है0 भूमि पर वादी संख्या 2 कुलविन्द्र सिह के कब्जा काश्त में चली आ रही है। वादीगण भूमि पर अपने परिवार सहित कब्जा काश्त है और भूमि का उपयोग व उपभोग कर रहे है, लेकिन उक्त भूमि का अंकन आज भी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम से दर्ज है। इस कारण वादीगण को काफी असुविधा होती है तथा वादीगण को भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। वादीगण कृषि भूमि को हिस्सा, ठेका पर काश्त करवाने, पानी की बारी बंधवाने, कृषि भूमि पर बैंक ऋण आदि प्राप्त करने, कृषि भूमि पर प्राप्त होने वाली राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से अनुदान राशि, मुआवजा राशि इत्यादि प्राप्त करने अन्य विभिन्न समस्याओं से झूजना पड़ता है। वादीगण पारिवारिक बंटवारा के अनुसार उक्तानुसार भूमि अपने नाम से राजस्व अभिलेख में दर्ज करवाना चाहते है और इसी कारण वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रहे है। आज से 10 रोज पूर्व भी वादीगण ने प्रतिवादीगण से पुनः निवेदन किया, लेकिन उनके द्वारा कोई जवाब नहीं दिया है तथा समय नही होने का हवाला देकर, टाल-मटोल कर दी है। यही वाद कारण है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर चक 16/17 एच के खाता संख्या 117 के मुरब्बा नं0 54 में कुल 2.3790है0 नहरी व मुरब्बा नं0 128/22 में 0.025है0 गैर मुमकिन खाला भूमि का वादी संख्या 1 अरमानदीप सिह पुत्र खुशविन्द्र सिह को खातेदार घोषित किया जावे। चक 16/17 एच के खाता संख्या 117 के मुरब्बा नं0 102 की कुल 1.9610है0 बारानी भूमि का वादी संख्या 1 व वादी संख्या 2 बहिस्सा बराबर को खातेदार घोषित किया जावे। चक 16/17 एच के खाता संख्या 154/145 में प्रतिवादी संख्या 2 सुखदीप कौर के नाम से दर्ज 5/11 हिस्सा यानि 2.530है0 भूमि को वादी संख्या 2 कुलविन्द्र सिंह को खातेदार घोषित किया जावे।

2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। वादीगण अरमानदीप सिंह, कुलविन्द्र सिंह व प्रतिवादीगण रणजीत सिंह, सुखदीप कौर, खुशविन्द्र सिंह, विरेन्द्र कौर, नरेन्द्र कौर, सुरेन्द्र कौर के द्वारा न्यायालय में उपस्थित आकर राजीनामा/समझौतानामा पेश किया। राजीनामा दोनों पक्षों को पढकर सुनाया गया। दोनों पक्षों के द्वारा राजीनामा सुन व समझकर सही होना स्वीकार किया। राजीनामा तस्दीक किया जाकर सामिल मिसल किया गया। दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत समझौतानामा के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 रणजीत सिंह पुत्र सौदागर सिंह के नाम दर्ज राजस्व ग्राम 16/17 एच, पटवार हल्का मलकाना कलां, भू.अ.नि. क्षेत्र मलकाना कलां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 117/41 में 4.365 हैक्टेयर भूमि में से वादी संख्या 1 अरमानदीप सिंह पुत्र खुशविन्द्र सिंह को मुरब्बा नम्बर 54 की 2.379 हैक्टेयर नहरी, मुरब्बा नम्बर 128/22 की 0.025 हैक्टेयर गैरमुमकिन खाला भूमि का खातेदार व वादी संख्या 1 अरमानदीप सिंह पुत्र खुशविन्द्र सिंह, वादी संख्या 2 कुलविन्द्र सिंह पुत्र रणजीत सिंह को मुरब्बा नम्बर 102 की 1.961 हैक्टेयर बहिस्सा बराबर भूमि का खातेदार तथा खाता संख्या 154/145 में प्रतिवादी संख्या 2 सुखदीप कौर पत्नी रणजीत सिंह के नाम दर्ज 2.530 हैक्टेयर भूमि का वादी संख्या 2 कुलविन्द्र सिंह पुत्र रणजीत सिंह को खातेदार घोषित किया जाता है, तो हम वादीगण, प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति, एतराज नहीं है। हस्तगत प्रकरण में दोनो पक्षों के द्वारा राजीनामा पेश किया गया है। इसलिए प्रकरण में वाद बिन्दू कायम नहीं किए गए। अधिवक्तागण के द्वारा निवेदन किया कि वादीगण का वादपत्र दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत समझौतानामा अनुसार डिक्री किये जाने के आदेश दिये जावे।

3. बहस उभयपक्ष सुनी गई, बहस के दौरान अधिवक्तागण ने वादीगण का वादपत्र उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत समझौतानामा अनुसार डिक्री किये जाने की ईश्तदुआ की है। वादीगण के वादपत्र मय शपथपत्र, समझौतानामा मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। लिहाजा वादीगण का वाद पत्र दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत समझौतानामा मुताबिक डिक्री किया जाना हम उचित समझते है।

-ःआदेशः-

4. अतः अंतिम डिक्री बहक वादीगण, प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है कि वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत समझौतानामा अनुसार भली-भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 रणजीत सिंह पुत्र सौदागर सिंह के नाम दर्ज राजस्व ग्राम 16/17 एच, पटवार हल्का मलकाना कलां, भू.अ.नि. क्षेत्र मलकाना कलां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 117/41 में 4.365 हैक्टेयर भूमि में से वादी संख्या 1 अरमानदीप सिंह पुत्र खुशविन्द्र सिंह को मुरब्बा नम्बर 54 की 2.379 हैक्टेयर नहरी, मुरब्बा नम्बर 128/22 की 0.025 हैक्टेयर गैरमुमकिन खाला भूमि का खातेदार व वादी संख्या 1 अरमानदीप सिंह पुत्र खुशविन्द्र सिंह, वादी संख्या 2 कुलविन्द्र सिंह पुत्र रणजीत सिंह को मुरब्बा नम्बर 102 की 1.961 हैक्टेयर बहिस्सा बराबर भूमि का खातेदार तथा खाता संख्या 154/145 में प्रतिवादी संख्या 2 सुखदीप कौर पत्नी रणजीत सिंह के नाम दर्ज 2.530 हैक्टेयर भूमि का वादी संख्या 2 कुलविन्द्र सिंह पुत्र रणजीत सिंह को खातेदार घोषित किया जाकर उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खातों के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

निर्णय आज दिनांक 13.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

अरमानदीप सिंह आदि बनाम रणजीत सिंह आदि
धारा अन्तर्गत 88, 188, 209 आरटीए
मुकदमा नम्बर 72/2025
निर्णय दिनांक :-13.05.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी अधिवक्ता श्री इन्द्राज सेजू, मनीष जागिंड उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 91, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत समझौतानामा अनुसार भली-भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 रणजीत सिंह पुत्र सौदागर सिंह के नाम दर्ज राजस्व ग्राम 16/17 एच, पटवार हल्का मलकाना कलां, भू.अ.नि. क्षेत्र मलकाना कलां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 117/41 में 4.365 हैक्टेयर भूमि में से वादी संख्या 1 अरमानदीप सिंह पुत्र खुशविन्द्र सिंह को मुरब्बा नम्बर 54 की 2.379 हैक्टेयर नहरी, मुरब्बा नम्बर 128/22 की 0.025 हैक्टेयर गैरमुमकिन खाला भूमि का खातेदार व वादी संख्या 1 अरमानदीप सिंह पुत्र खुशविन्द्र सिंह, वादी संख्या 2 कुलविन्द्र सिंह पुत्र रणजीत सिंह को मुरब्बा नम्बर 102 की 1.961 हैक्टेयर बहिस्सा बराबर भूमि का खातेदार तथा खाता संख्या 154/145 में प्रतिवादी संख्या 2 सुखदीप कौर पत्नी रणजीत सिंह के नाम दर्ज 2.530 हैक्टेयर भूमि का वादी संख्या 2 कुलविन्द्र सिंह पुत्र रणजीत सिंह को खातेदार घोषित किया जाकर उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खातों के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे।

आज दिनांक 13.05.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

मुददई	**रुपया**	**पैसा**	**मुदायली**	**रुपया**	**पैसा**
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प ड्यूटी	1450	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	**1454**	**00**	**योग**	**00**	**00**

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

क्रमांकः रीडर/2025/285 दिनांकः 13.05.2025

प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)